रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 147] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 18, 2002/आषाढ़ 27, 1924

No. 147] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 18, 2002/ASADHA 27, 1924

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 2002

आयोग के कर्मचारियों के लिए सेवा विनियम

फा. सं. 2/2(1)/99-के.वि.वि.आ.— विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 की धारा 8(3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से एतदद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है; अर्थातः-

अध्याय-I

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(क) इन विनियमों का पूरा नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कर्मचारियों की भर्ती, नियंत्रण और सेवा शर्ते) विनियम, 2002 होगा ।

(ख) ये विनियम अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे ।

2280 GI/2002

2. **लागू होना** ये विनियम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग के उन पूर्णकालिक अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों के संबंध में लागू होंगे जिनका इस विनियमावली के विनियम 5 में उल्लेख किया गया है ।

3. **परिभाषाएं**

जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इन विनियमों मे --

(क) 'अधिनियम' से विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 अभिप्रेत है,

(ख) नियुक्ति अधिकारी से निम्नलिखित अभिप्रेत है:-

(i) केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत समूह, 'क' के पदों के समतुल्य सभी पदों के संबंध में अध्यक्ष,

(ii) केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत समूह 'ख' और "ग" पदों के समतुल्य सभी पदों के संबंध में सचिव और

(iii) केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत समूह "घ" पदों के समतुल्य सभी पदों के संबंध में सहायक सचिव है ।

(ग) 'अध्यक्ष' से अभिप्राय आयोग का अध्यक्ष है;

(घ) 'आयोग' से अभिप्राय केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग है

(ङ) 'अनुशासनिक प्राधिकारी' से निम्नलिखित अभिप्रेत है

(i) केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत समूह "क" पदों के समतुल्य सभी पदों के संबंध में अध्यक्ष,

(ii) केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत समूह "ख" और "ग" पदों के समतुल्य सभी पदों के संबंध में सचिव; और

(iii) केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत समूह "घ" पदों के समतुल्य सभी पदों के संबंध में सहायक सचिव है ।

(च) 'कार्य' से अभिप्राय आयोग के सभी कार्यकलाप और इनमें आयोग के क्रियाकलापों से संबंधित सभी कार्य शामिल है;

(छ) 'सदस्य' से अभिप्राय आयोग का सदस्य है;

(ज) 'कर्मचारिवृन्द' में सभी श्रेणियों के अधिकारी और कर्मचारी, दोनों ही शामिल हैं, चाहे वे प्रतिनियुक्ति आधार पर अथवा स्थायी तौर पर आमेलन के द्वारा अथवा लघु अवधि अनुबंध आधार पर नियुक्त किए गए हों ।

(झ) गैर सरकारी संस्थान जैसे कि विश्वविद्यालय, मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थायें, सार्वजनिक सरकारी उपक्रम, इत्यादि के अधिकारियों की नियुक्ति "लघु अवधि अनुबंध" के आधार पर सीमित अवधि के लिये प्रतिनियुक्ति पर की जाएगी ।

इन विनियमों में प्रयोग में लाए गए उन शब्दों और अभिव्यक्तियों, जिनको परिभाषित नहीं किया गया है, का क्रमशः वही अर्थ होगा जिस रूप में अधिनियम के अंतर्गत उन्हें प्रयोग किया गया है ।

अध्याय-II

पदों का वर्गीकरण /कर्मचारिवृन्द की स्वीकृत संख्या

4. पदों का वर्गीकरण आयोग में पदों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाएगा:-

क्रम सं.	विवरण	पदों का वर्गीकरण
1.	वह पद जिसका वेतन अथवा वेतनमान का अधिकतम 13,500 रूपये से न्यून न हो;	समूह "क" के समतुल्य
2.	वह पद जिसका वेतन अथवा वेतनमान का अधिकतम 9000 रूपये से न्यून न हो परन्तु 13,500 रूपये से न्यून हो,	समूह "ख" के समतुल्य
3.	वह पद जिसका वेतन अथवा वेतनमान का अधिकतम 4,000 रूपये से अधिक हो परन्तु 9,000 रूपये से न्यून हो	समूह "ग" के समतुल्य
4.	वह पद जिसका वेतन अथवा वेतनमान का अधिकतम 4000 रूपये अथवा उससे न्यून हो	समूह "घ" के समतुल्य

5. कर्मचारिवृन्द की स्वीकृत संख्या

आयोग मे अनुमोदित पद, विभिन्न वेतनमानो में केन्द्रीय सरकार के विभिन्न स्तरो के समतुल्य, का वर्गीकरण किया जाएगा जैसा कि निम्नलिखित तालिका मे दर्शाया गया है :—

पद	वेतनमान	केन्द्रीय सरकार के समतुल्य पद	पद संख्या
सचिव	18400-500-22400	संयुक्त सचिव	1
प्रमुख	18400-500-22400	संयुक्त सचिव	4
संयुक्त प्रमुख	14300-400-18300	निदेशक	2
उप प्रमुख	12000–375–18000	उप सचिव	8
सहायक सचिव	10000–325–15200	अवर सचिव	1
सहायक प्रमुख	10000–325–15200	अवर सचिव	8
पीठ अधिकारी	10000–325–15200	अवर सचिव	2
प्रधान निजी सचिव	10000–325–15200	प्रधान निजी सचिव	4
वेतन तथा लेखा अधिकारी	8000-275-13500	वरिष्ठ लेखा अधिकारी	1
निजी सचिव	6500–200–10500	निजी सचिव	5
सहायक	5500–175–9000	सहायक	5
वैयक्तिकसहायक	5500–175–9000	वैयक्तिक सहायक	7
आशुलिपिक	4000-100-6000	आशुलिपिक	4
स्वागतकर्त्ता एवं टेलीफोन आपरेटर	3050-75-3950-80-4590	अवर श्रेणी लिपिक	1
ड्राइवर	3050-75-3950-80-4590	ड्राइवर	4
वरिष्ठ चपरासी / दफ्तरी	2610–60–3150–65–3540	दफ्तरी	2
चपरासी	2550–55–2660–60–3200	चपरासी	4

6. नियुक्ति की पद्धति

आयोग में स्वीकृत पदों पर नियुक्तियां या तो सीधी भर्ती द्वारा अथवा लघु अवधि अनुबंध आधार पर अथवा प्रतिनियुक्ति आधार पर अथवा प्रोन्नति आधार पर निम्नानुसार की जाएंगी:-

पद	नियुक्ति की पद्धति
सचिव	प्रतिनियुक्ति आधार पर
प्रमुख	प्रतिनियुक्ति पर और लघु अवधि अनुबंध के आधार पर
संयुक्त प्रमुख	वही
उप प्रमुख	वही
सहायक सचिव	प्रतिनियुक्ति आधार पर
सहायक प्रमुख	प्रतिनियुक्ति पर और लघु अवधि अनुबंध के आधार पर
पीठ अधिकारी	प्रतिनियुक्ति आधार पर
प्रधान निजी सचिव	प्रोन्नति पर, ऐसा न होने पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर
वेतन तथा लेखा अधिकारी	प्रतिनियुक्ति आधार पर
निजी सचिव	प्रोन्नति पर, ऐसा न होने पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर
सहायक	प्रतिनियुक्ति आधार पर
वैयक्तिक सहायक	प्रोन्नति पर, ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा
आशुलिपिक	सीधी भर्ती द्वारा
स्वागतकर्त्ता एवं टेलीफोन आपरेटर	सीधी भर्ती द्वारा
ड्राइवर	सीधी भर्ती द्वारा
वरिष्ठ चपरासी/दफ्तरी	प्रोन्नति द्वारा
चपरासी	सीधी भर्ती द्वारा

लघु अवधि अनुबंध आधार पर नियुक्ति प्रारम्भ में तीन वर्षो की अवधि के लिए की जाएगी जिसे बाद में आयोग के विवेकानुसार आनुक्रमिक एक-एक वर्ष की अवधि के लिए अधिकतम दो वर्षो के लिए बढ़ाया जाएगा/नवीकृत किया जाएगा ।

प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति प्रारम्भ में तीन वर्षो के लिए की जाएगी जिसे बाद में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी सामान्य मार्गदर्शी सिद्धांतों के अंतर्गत आयोग के विवेकानुसार आनुक्रमिक एक-एक वर्ष की अवधि के लिए अधिकतम दो वर्षो के लिए बढाया जाएगा/नवीनीकरण किया जाएगा ।

इन विनियमों के लागू होने के तत्काल पूर्व नियमित आधार पर नियुक्त किए गए अधिकारियों और कर्मचारियों को इन विनियमों के अंतर्गत नियुक्त किया गया माना जाएगा ।

बशर्ते प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्त किए गए कर्मचारी, यदि वे आयोग में स्थायी तौर पर आमेलित होने के इच्छुक हों, तो प्रतिनियुक्ति की दो वर्ष की अवधि पूरा होने पर आयोग में स्थायी तौर पर आमेलित होने के लिए अपना विकल्प दे सकते है और नियुक्ति प्राधिकारी अपने विवेकानुसार इस सम्बध में उपयुक्त निर्णय ले सकता है ।

7. पदों का आबंटन

स्वीकृत पदों का विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों में परस्पर आबंटन आयोग द्वारा समय-समय पर किए गए निर्णय के अनुसार होगा ।

8. पदों को रिक्त रखने की शक्ति

विनियम 5 में किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा जिसके द्वारा आयोग के लिए यह अपेक्षित हो कि प्रत्येक समय सभी श्रेणियों में या पदों पर कर्मचारी कार्यरत हों ।

अध्याय-III

भर्ती तथा नियुक्ति के लिए प्रक्रिया

9. नियुक्ति प्राधिकारी

अधिकारियों और कर्मचारियों की सभी नियुक्तियां इन विनियमों के विनियम 3 के खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट अनुसार नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जाएंगी ।

10. प्रतिनियुक्ति के लिए पात्रता मानदण्ड

प्रतिनियुक्ति पर पात्रता मानदण्ड परिशिष्ट-I में दिए गए अनुसार होंगे ।

11. सीधी भर्ती के लिए पात्रता मानदण्ड

सीधी भर्ती के लिए पात्रता मानदण्ड परिशिष्ट-II में दिए गए अनुसार होंगे ।
सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्ति दो वर्षों की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे और कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग द्वारा इस संबंध में जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतो के द्वारा शासित होंगे ।

12. **लघु अवधि अनुबंध पर नियुक्ति के पात्रता मानदण्ड**

लघु अवधि अनुबंध पर नियुक्ति के पात्रता मानदण्ड परिशिष्ट – I में दिये गए अनुसार होंगे ।

13. **प्रोन्नति आधार पर नियुक्ति के लिए पात्रता मानदण्ड**

प्रोन्नति आधार पर नियुक्ति के लिए पात्रता मानदण्ड परिशिष्ट- III में दिए गए अनुसार होंगे ।

प्रोन्नति आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्ति दो वर्षों की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा इस संबंध में जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों द्वारा शासित होंगे ।

14. **रिक्तियों का आख्यापन**

आयोग, प्रतिनियुक्ति के आधार पर और लघु अवधि अनुबंध द्वारा अथवा सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने के लिए रिक्तियों की संख्या को उस तरीके से आख्यापित कर सकेगा जैसा कि वह उचित समझता हो तथा आयोग में नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित कर सकेगा । प्रतिनियुक्ति के मामले में रिक्तियां भारत सरकार की सभी विभागों, सम्बद्ध कार्यालयों तथा अधीनस्थ कार्यालयों तथा लघु अवधि अनुबंध के आधार पर प्रतिनियुक्ति के लिए सीमित समय के लिये प्रतिनियुक्ति हेतु गैर सरकारी संस्थान जैसे कि विश्वविद्यालय, मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान, सार्वजनिक सरकारी उपकम को परिचालित की जायेगी । सीधी भर्ती के आधार पर नियुक्ति मामले में रिक्तियों का समाचार पत्रों के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाएगा ।

15. **फार्मों को विहित करना और आवेदन के लिए शर्तें**

आयोग, जैसा कि वह उचित समझता है, वह फार्म जिसमें आवेदन प्रस्तुत किए जाएंगे, आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज और प्रमाण-पत्र, प्रस्तुत करने की पद्धति, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि और आवेदन प्रस्तुत करने के लिए अभिहित अधिकारी विहित कर सकेगा।

16. **आवेदनों पर कार्रवाई**

चयन समिति आयोग में प्राप्त आवेदनों पर विचार करेगी और इन पर आगे और कार्रवाई किए जाने के लिए कार्य की अपेक्षाओं तथा अभ्यर्थियों की पाठ्यक्रम संबंधी योग्यता के आधार पर छानबीन किए अभ्यर्थियों के संबंध में कार्रवाही करेगी ।

17. चयन की पद्धति

चयन समिति छान-बीन किए गए अभ्यर्थियों की उपयुक्तता का निर्धारण करने के लिए लिखित परीक्षा अथवा साक्षात्कार अथवा कोई अन्य तरीके सहित चयन की पद्धति विहित कर सकेगी ।

18. चयन समिति का गठन

अभ्यर्थियों की जांच करने और नियुक्ति के लिए सिफारिशें करने हेतु एक चयन समिति होगी

(क) केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत समूह "क" पदों के समतुल्य विनियम 5 में उल्लेख किए गए सभी पदों पर चयन करने के लिए चयन समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे :--

अध्यक्ष :	आयोग का अध्यक्ष
सदस्य :	आयोग के दो सदस्य
संयोजक :	आयोग का सचिव

टिप्पणी: चयन समिति का अध्यक्ष एक विषय विशेषज्ञ/आयोग के प्रभागाध्यक्ष को चयन समिति के सदस्य के रूप में सहयोजित कर सकेगा ।

(ख) केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत समूह "ख" और "ग" पदों के समतुल्य विनियम 5 में उल्लेख किए गए सभी पदों पर चयन के लिए चयन समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे--

अध्यक्ष :	आयोग का सचिव
सदस्य :	आयोग के सचिव द्वारा मनोनीत दो प्रमुख/संयुक्त प्रमुख अधिकारी
संयोजक :	आयोग का सहायक सचिव (पी.एण्ड ए.)

(ग) केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत समूह "घ" पदों के समतुल्य विनियम 5 में उल्लेख किए गए सभी पदों पर चयन के लिए चयन समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे

अध्यक्ष :	आयोग का सहायक सचिव (पी.एण्ड ए.)
सदस्य :	आयोग का पीठाधिकारी
संयोजक:	आयोग का आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डी. डी. ओ)

19. अभ्यर्थियों की चयन सूची

वयन समिति की सिफारिशो के आधार पर नियुक्ति प्राधिकारी योग्यता क्रमानुसार व्यवस्थित अभ्यर्थियों की चयन सूची तैयार करेगा जो एक वर्ष की अवधि के लिए अथवा ऐसी बढ़ाई गई अवधि के लिए वैध रहेगी जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी विनिर्दिष्ट करेगा ।

20. अभ्यर्थियों का चयन

(क) चयन सूची में शामिल अभ्यर्थियो को नियुक्ति प्रस्ताव चयन सूची में दिखाए गए योग्यता क्रमानुसार जारी किए जाएंगे, जिनमें एक समय अवधि भी निर्धारित की जाएगी जिसके भीतर अभ्यर्थी सेवा में अवश्य ही कार्य-भार ग्रहण करेगा जिसे नियुक्ति प्राधिकारी के विवेकाधिकार से बढ़ाया जा सकेगा ।

(ख) नियुक्ति प्रस्ताव के पत्र में अभ्यर्थी द्वारा नियुक्ति से पूर्व पूरी की जाने वाली शर्तें विनिर्दिष्ट की जाएंगी ।

(ग) यदि चयनित अभ्यर्थी नियुक्ति से पूर्व विनिर्धारित शर्तो में से किसी शर्त को पूरा करने मे असफल रहता है अथवा कोई अभ्यर्थी विनिर्दिष्ट समय अवधि के भीतर सेवा में अपना कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो नियुक्ति प्राधिकारी अपने नियुक्ति प्रस्ताव को वापस ले सकेगा ।

(घ) सीधी भर्ती के आधार पर सभी नियुक्तियां चरित्र तथा पूर्ववृत्त के सत्यापन के अध्यधीन होंगी ।

(ङ) जिस मामले में उपरोक्त खण्ड (ग) में विहित की गई पद्धति में नियुक्ति प्रस्ताव वापस लिया जाता है तो नियुक्ति प्रस्ताव चयन सूची में योग्यता क्रम में ठीक निचले अभ्यर्थी को जारी किया जाएगा ।

अध्याय -IV

21. वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें

21.1 वेतन नियतन (प्रतिनियुक्ति एवं लघु अवधि अनुबंध पर नियुक्ति के आधार पर कर्मचारियों के लिए)

प्रत्येक पद के संबंध में लागू वेतनमान और केन्द्रीय सरकार सेवा के सत्तम स्तरों को इन विनियमो के विनियम 5 मे दिया गया है ।

(क) प्रतिनियुक्ति आधार पर/स्थायी आमेलन के आधार पर नियुक्ति के मामले में वेतन केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर यथाविहित मानक शर्तों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा ।

(ख) महगाई भत्ते, मकान किराया भत्ते, परिवहन भते, नगर प्रतिकर भत्ते, बाल्य शिक्षा भत्ते, छुट्टी यात्रा रियायत, छुट्टी यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते, आवासीय टेलीफोन और समाचार पत्रों के बिलों की प्रतिपूर्ति, केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर यथा विहित किए गए अनुसार की जाएगी ।

(ग) पेंशन/भविष्य निधि - केन्द्रीय सरकार के तत्सम स्तर के कर्मचारियों के लिए यथा विहित पेंशन/सामान्य भविष्य निधि के उपबंध ही आयोग के स्थायी तौर पर आमेलित कर्मचारियों के लिए लागू होंगे ।

(घ) चिकित्सा सुविधाएं केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (चिकित्सा सुविधाएं) विनियम, 2000 के अनुसार अनुज्ञेय होंगे ।

(ड) केन्द्रीय सरकार में मुहैया कराये जाने वाले अन्य भत्ते तदानुसार केन्द्रीय सरकार के नियमों के अनुसार अनुज्ञेय होंगे ।

21.2 वेतन नियतन (सीधी भर्ती)

सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त व्यक्तियों के लिए वेतन तथा अन्य भत्तों का निर्धारण केन्द्रीय सरकार के नियमों के अनुसार किया जाएगा। केन्द्रीय सरकार के तत्सम स्तर के कर्मचारियों के लिए यथा उपयोज्य पेंशन/सामान्य भविष्य निधि संबंधी उपबंध ही सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किए गए कर्मचारियों के लिए लागू होंगे ।

21.3 वेतन नियतन (प्रोन्नति के मामले में)

प्रोन्नति के जरिए नियुक्त व्यक्तियों के लिए वेतन तथा अन्य भत्तों का निर्धारण केन्द्रीय सरकार के नियमों के अनुसार किया जाएगा । केन्द्रीय सरकार के तत्सम स्तर के कर्मचारियों के लिए यथा उपयोज्य पेंशन/सामान्य भविष्य निधि के उपबंध ही प्रोन्नति पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए लागू होंगे ।

22. प्रतिनियुक्ति/आमेलन के आधार पर कर्मचारी

(क) केन्द्र सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमो/स्वायत्त निकायों जैसा भी मामला हो, से प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन आधार पर नियुक्त सभी कर्मचारियों की पूर्व सेवा की गणना, कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार शासित होगी ।

(ख) ऐसे भत्ते, जो आयोग में तत्सम के नियमित कर्मचारियों के लिए अनुज्ञेय नहीं है, प्रतिनियुक्ति/अन्यत्र सेवा पर नियुक्त अधिकारियो के लिए भी अनुज्ञेय नहीं होंगे, चाहे ये भत्ते उनके मूल संगठन में अनुज्ञेय थे ।

(ग) प्रतिनियुक्ति पर सेवा ग्रहण करने वाले कर्मचारी संबंधित भविष्य निधि में अंशदान के लिए पात्र होंगे जिसमे वे अपने मूल संगठन में अंशदान कर रहे थे । जिस मामले में प्रतिनियुक्त कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि के सदस्य हैं तो आयोग प्रत्येक मामले में यथा उपयोज्य नियोक्ता के अंशदान के बराबर अंशदान करेगा ।

(घ) जब आयोग यह निर्णय करता है कि प्रतिनियुक्त कर्मचारी की सेवाओं की आगे और आवश्यकता नहीं है तो उसे उसकी प्रतिनियुक्ति की स्वीकृत अवधि के समाप्त होने से पूर्व ही उसके मूल विभाग को वापस भेज दिया जाएगा, जब कभी प्रतिनियुक्ति कर्मचारी के उसके मूल संवर्ग के समयपूर्व प्रत्यावर्तन की स्थिति उत्पन्न होती है, तो उसके मूल मंत्रालय/विभाग तथा संबंधित कर्मचारी को पर्याप्त समय पूर्व अग्रिम सूचना दिए जाने के पश्चात उसकी सेवाएं वापस की जा सकेंगी ।

23. कर्मचारियों की तैनाती

(क) किसी भी समय पर कर्मचारियों की तैनाती उस नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किए निर्णय के अनुसार की जाएगी जो उस पद से कम वेतनमान वाले किसी भी पद पर तैनात नहीं होगा जिस पद पर कर्मचारीवृन्द के सदस्य की भर्ती की गई थी ।

(ख) कर्मचारीवृन्द का कोई भी सदस्य एक पद से अधिक पद धारण कर सकेगा जिसके लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा की गई अन्यथा व्यवस्था के अलावा कोई अतिरिक्त पारिश्रमिक संदत्त नहीं किया जाएगा ।

अध्याय-V

वार्षिक मूल्यांकन, अनुशासनिक कार्यवाहियां और शास्तियां

24. गोपनीय रिपोर्टें

कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों के मामले में केन्द्रीय सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के संबंध में समय-समय पर जारी अनुदेश आयोग द्वारा उपयुक्त रूप से समाहित किए जाएंगे।

25. अनुशासनिक कार्यवाहियां और शास्तियां अधिरोपित करना

आचरण, अनुशासन और शास्तियां अधिरोपित करने के मामले में केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 और केन्द्रीय सिविल सेवा (नियंत्रण, वर्गीकरण और अपील) नियमावली, 1965 और केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेश आयोग द्वारा उपयुक्त रूप से समाहित किए जाएंगे । प्रत्येक मामले में अनुशासनिक प्राधिकारी इन विनियमों के पैराग्राफ 3(ङ) मे विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होगा ।

अध्याय-VII

विविध

26. प्रशिक्षण

(क) कर्मचारियों के लिए ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक है जैसा कि आयोग द्वारा विहित किया जाए ।

(ख) ऐसे किसी भी कर्मचारी को जिस पर प्रशिक्षण की अवधि के दौरान कदाचार का आरोप लगाया जाता है प्रशिक्षण से हटा लिया जाएगा और उस पर उचित अनुशासनिक कार्यवाही की जाएगी जिस प्रकार नियुक्ति प्राधिकारी उचित मानता हो । ऐसे मामलों में शास्ति में आयोग द्वारा प्रशिक्षण के संबंध में व्यय की गई राशि की वसूली शामिल हो सकती है ।

27. सेवा की अन्य शर्तें

कर्मचारियों और अधिकारियों की सेवा की अन्य शर्तें जिनके बारे में इन नियमों में कोई अभिव्यक्त उपबन्ध नहीं बनाया गया है, वे होंगी, जो समतुल्य वेतन प्राप्त करने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों/अधिकारियों के लिए अनुज्ञेय हैं ।

28. शिथिलीकरण की शक्ति

आयोग जनहित में और कारणों को लिखित रूप मे अभिलेखबद्ध करने और केन्द्र सरकार से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात इन विनियमों के किसी भी उपबन्ध को शिथिल कर सकेगा ।

29. व्याख्या

यदि इन विनियमो की व्याख्या के बारे में कोई प्रश्न उठता है तो उसे जांच के लिए केन्द्रीय सरकार को भेजा जाएगा और केन्द्रीय सरकार का निर्णय अन्तिम होगा ।